

कार्यालय कलेक्टर (जिला बाल संरक्षण इकाई)

महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला सुकमा (छ0ग0)

Email:- dcpo-sukma@cg.gov.in

टेलीफोन न. 07864-299101

क्रमांक/134 /मबावि./मि.वा./2026-27

सुकमा, दिनांक 14/07/2026

“विज्ञापन”

मिशन वात्सल्य योजनांतर्गत जिला बाल संरक्षण इकाई में परामर्शदाता पद पर संविदा भर्ती हेतु विज्ञापन

भारत सरकार महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा स्वीकृत मिशन वात्सल्य योजना के प्रावधानों एवं स्वीकृति अनुसार योजना के क्रियान्वयन हेतु जिला बाल संरक्षण इकाई सुकमा में परामर्शदाता-(01 पद अना.) के संविदा पद पर भर्ती के लिए पात्र आवेदकों से दिनांक 14/07/2026 से दिनांक 03/08/2026 तक आवेदन आमंत्रित है। उक्त पदों पर भर्ती के लिये आवेदन जिला कार्यक्रम अधिकारी/जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी कार्यालय, महिला एवं बाल विकास विभाग, कक्ष क्रमांक 43 संयुक्त कार्यालय, कुम्हाररास सुकमा, जिला-सुकमा छ.ग. में प्रेषित करना होगा। आवेदन करने के अंतिम दिनांक 03/08/2026 को कार्यालयीन अवधि में प्रातः 10:00 बजे से शाम 05:30 बजे तक पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/कोरियर के माध्यम से ही स्वीकार किये जावेंगे। पद एवं आवेदन प्रक्रिया का विवरण निम्नानुसार है :-

1. जिला बाल संरक्षण इकाई में रिक्त पदों का विवरण :-

क्र.	पदनाम	पद संख्या				योग	निर्धारित एकमुश्त मासिक वेतन (राशि रुपये में)	रिमार्क
		अना.	अ.ज.जा.	अ.जा.	अ.पि.व.			
1	परामर्शदाता	01	00	00	00	01	18536.00/-	

2. जिला बाल संरक्षण इकाई में परामर्शदाता पद हेतु शैक्षणिक योग्यता, अनिवार्य कौशल, अनिवार्य अनुभव :-

क्र.	पदनाम	अनिवार्य न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता	अनिवार्य कौशल	अनिवार्य न्यूनतम अनुभव	वांछनीय योग्यता
1	परामर्शदाता	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाज कार्य/समाजशास्त्र/मनोविज्ञान/जनस्वास्थ्य/काउंसलिंग में स्नातक या काउंसलिंग और संचार में पीजी डिप्लोमा	कम्प्यूटर पर एम.एस. आफिस/वेब आधारित अन्य साफ्टवेयर में कार्य करने में सक्षम होना चाहिए	महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में सरकार/एनजीओ के साथ काम करने का कम से कम 01 वर्ष का अनुभव।	अंग्रेजी एवं हिन्दी भाषा का ज्ञान।

3. शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से होने पर ही मान्य किया जायेगा। निर्धारित शैक्षणिक अर्हता के दस्तावेज आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक आवश्यक रूप से आवेदन के साथ संलग्न होना चाहिए, अन्यथा आवेदन मान्य नहीं किया जावेगा।

4. आयु सीमा:-

4.1 सभी पदों हेतु अभ्यर्थी की आयु 01 जनवरी 2026 को 21 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक न हो। इन पदों हेतु इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप आयु की छूट की पात्रता होगी, किन्तु सभी छूटों को मिलाकर उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

4.2 सभी पदों पर अधिकतम आयु सीमा में छूट के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिये गये निर्देश लागू होंगे।

4.3 आयु के प्रमाणन के लिए जन्म प्रमाण-पत्र या 10वीं की अंक सूची मान्य होगा।

5. निवास :- अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। जिसके लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया निवास प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा।
6. पदों हेतु आरक्षण - संविदा नियुक्ति के लिए छ.ग. लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 एवं उसके अधीन जारी नियम/निर्देश लागू होंगे। आरक्षित वर्ग हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
7. कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगी।
8. उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक पति/पत्नी जीवित हो, पात्र नहीं होगा/होगी। ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है अर्थात् यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाये कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है।

टीप- कड़िका-07 एवं 08 के संबंध में चयन होने की स्थिति में चयनित अभ्यर्थी को रु. 50/- के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित तत्संबंधी शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

4

9. अनुभव के संबंध में निर्देश निम्नानुसार है :-

- 9.1 अभ्यर्थी को संबंधित संस्था के नियोक्ता द्वारा जारी पूर्णकालिक अनुभव प्रमाण-पत्र मान्य होंगे।
9.2 किसी भी प्रकार का स्वैच्छिक सेवा का प्रमाण-पत्र अनुभव के रूप में मान्य नहीं किया जावेगा।
9.3 शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को अपने आवेदन पत्र को नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण-पत्र सहित प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवेदन पत्र विचारणीय नहीं होगा।
9.4 आवेदन में उल्लेखित अनुभव के साथ उक्त अवधि का वेतन पत्र (पे-स्लीप) संलग्न करना अनिवार्य है। अन्यथा उल्लेखित अनुभव को अमान्य किया जावेगा।

टीप - आवेदक द्वारा आवेदन में दिए गए अनुभव को मान्य करने के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी (कलेक्टर सह अध्यक्ष, जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति) का निर्णय अंतिम होगा।

10. प्राप्त आवेदन पत्रों में से पात्र आवेदकों का ही अंकीय प्रणाली के आधार पर मैरिट सूची तैयार करते हुए व्यक्तिगत साक्षात्कार के आधार पर चयन सूची तैयार किया जावेगा।
11. नियुक्ति प्राधिकारी :- जिला स्तरीय पदों के लिए जिला कलेक्टर (पदेन अध्यक्ष जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति) नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी होंगे।
12. अंकीय प्रणाली :- निर्धारित मापदंडों के आधार पर प्राप्त आवेदनों के आधार पर अभ्यर्थियों का प्रावीण्य सूची अंकीय प्रणाली के आधार पर तैयार किया जायेगा। मूल्यांकन हेतु अंकों की गणना निम्नानुसार होगी :-
- 12.1 अनिवार्य न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्तांक के प्रतिशत पर 70 प्रतिशत अंक दिये जायेंगे।
12.2 निर्धारित न्यूनतम अनुभव पर कोई अंक देय नहीं होगा किंतु निर्धारित न्यूनतम अनुभव अवधि के पश्चात् प्रत्येक 01 वर्ष के अनुभव पर 02 अंक दिये जायेंगे, जो अधिकतम 10 अंक तक होगा।
12.3 उपरोक्त में से प्राप्त अंकों के आधार पर प्रावीण्य सूची तैयार की जाएगी।
12.4 व्यक्तिगत साक्षात्कार हेतु 20 अंक निर्धारित रहेंगे।
12.5 अभ्यर्थियों के प्रावीण्य सूची में समान अंक होने की दशा में अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को चयन में वरीयता दी जावेगी। यदि उम्र भी समान हो तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थी को चयन में वरीयता दी जायेगी।
13. उपरोक्तानुसार अंकीय प्रणाली के आधार पर क्रमांक 12 के उप कंडिका 12.1 एवं 12.2 पर प्राप्त कुल अंकों के आधार पर प्रावीण्य सूची तैयार की जावेगी। चयन हेतु प्रावीण्य सूची में से प्रत्येक पद के लिए एक अनुपात दस (1:10) के अनुपात में व्यक्तिगत साक्षात्कार हेतु आवेदकों को आमंत्रित किया जायेगा।
- 13.1 जिला बाल संरक्षण इकाई के पदों में से परामर्शदाता के पद के लिए व्यक्तिगत साक्षात्कार लिया जायेगा।
13.2 चयन समिति द्वारा उपरोक्तानुसार प्राप्त अंकों के आधार पर समग्र प्रावीण्य सूची एवं प्रवर्गवार प्रावीण्य सूची तैयार की जावेगी। प्रावीण्य सूची में अपने प्रवर्ग में अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का नियुक्ति आदेश नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी किया जायेगा।
13.3 प्रत्येक पद के लिये 25 प्रतिशत अथवा 03 जो भी अधिक हो, अभ्यर्थियों को प्रतीक्षा सूची में रखा जायेगा। चयन सूची एवं प्रतीक्षा सूची की वैधता, चयन सूची प्रकाशन तिथि से 01 वर्ष तक रहेगी।
14. नियुक्ति की अवधि :-
- 14.1 इन समस्त पदों पर प्रथम बार में अधिकतम 03 वर्ष या भारत शासन द्वारा योजना संचालन की अवधि, जो भी पहले हो, की अवधि हेतु नियुक्त किया जाएगा।
14.2 जिला बाल संरक्षण इकाई/बालक कल्याण समिति/किशोर न्याय बोर्ड में कार्य की आवश्यकता होने पर वार्षिक कार्य मूल्यांकन एवं नियंत्रणकर्ता अधिकारी की अनुशंसा के आधार पर उपयुक्तता का आकलन कर एक बार में संविदा सेवा अवधि अधिकतम 03 वर्ष के लिए जिला स्तर पर जिला कलेक्टर (पदेन अध्यक्ष जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति) द्वारा संविदा अवधि वृद्धि करने का निर्णय लिया जा सकेगा। संविदा वृद्धि नहीं किये जाने की स्थिति में सेवा स्वमेव समाप्त मानी जाएगी।
14.3 चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी। संविदा सेवा अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर सेवा समाप्त की जा सकती है। विशेष परिस्थितियों में बिना कारण बताये भी सेवा समाप्त की जा सकती है।
14.4 इन पदों की अवधि भारत शासन द्वारा योजना संचालन की अवधि तक ही सीमित होगी एवं तदोपरांत पद समाप्त कर दिये जायेंगे। पद समाप्ति के उपरांत इन पदों पर कार्यरत कर्मचारियों के संबंध में विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

48

- 14.5 नियुक्ति के पश्चात भी यदि नियुक्ति संबंधी अर्हताओं एवं शर्तों का पूरा करना नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी।
- 14.6 उपरोक्त समस्त पदों पर नियुक्त कर्मचारी भारत सरकार द्वारा मिशन वात्सल्य अंतर्गत योजना के स्वीकृत पद है तथा भारत सरकार के दिशा-निर्देश एवं छ.ग. शासन महिला एवं बाल विकास विभाग के पत्र क्रमांक 2489/239/सा./2023/50 दिनांक 04.10.2023 द्वारा जारी राज्य बाल संरक्षण समिति छत्तीसगढ़ की मानव संसाधन नीति 2023 द्वारा शासित होंगे।
15. आवेदन के संबंध में निर्देश निम्नानुसार है :-
- 15.1 आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में जमा किया जावे। अपूर्ण अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जायेंगे एवं इस संबंध में अभ्यर्थियों को कोई सूचना नहीं दी जायेगी।
- 15.2 लिफाफे के ऊपर एवं आवेदन पत्र में पद का नाम, जिसके लिये आवेदन किया जा रहा है, लिफाफे के ऊपर प्रेषक का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए, अन्यथा आवेदन निरस्त किया जा सकता है।
- 15.3 आवेदन पत्र कार्यालयों में सीधे स्वीकार नहीं किये जायेंगे। आवेदन पत्र पंजीकृत डाक/स्पीडपोस्ट/कोरियर के माध्यम से ही स्वीकार होंगे।
- 15.4 आवेदन पत्र के साथ वांछित प्रमाण-पत्र एवं अन्य दस्तावेज स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित होना चाहिए।
- 15.5 निर्धारित अर्हता एवं शर्तों को पूरा न करने पर चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त कर उनकी उम्मीदवारी समाप्त की जा सकेगी।
- 15.6 आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये गये समस्त अभिलेख सत्यापन में जाली/गलत पाये जाने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
16. चयन संबंधी विवाद की दशा में नियोक्ता का निर्णय अंतिम होगा।
17. विज्ञापन की विस्तृत जानकारी महिला एवं बाल विकास विभाग के सूचना पटल पर एवं वेबसाइट <https://sukma.gov.in/> पर देखी जा सकती है।
18. आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में सही पता, ई-मेल आईडी व मोबाईल नं. का उल्लेख किया जावे, ताकि चयनित अभ्यर्थियों को सूचना दी जा सके।

टीप :-

1. दस्तावेज सत्यापन के समय समस्त वांछित दस्तावेजों की मूल प्रति एवं स्वप्रमाणित प्रति लाना अनिवार्य होगा।
2. व्यक्तिगत साक्षात्कार में भाग लेने वाले अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।

जिला निवासी अधिकारी
महिला एवं बाल विकास विभाग
जिला-सुकमा छ0ग0

आवेदन पत्र का प्रारूप

प्रति

जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास विभाग
जिला- सुकमा (छ.ग.)

स्वयं द्वारा
अभिप्रेतित पासपोर्ट
साईस फोटो पर
हस्ताक्षर जिसका
आधा भाग फोटो एवं
आधा आवेदन पत्र में
होना चाहिए चरखा
करें

1. आवेदित पद का नाम :-
2. आवेदन का नाम (हिन्दी में) :-
- (अंग्रेजी में) :-
3. पिता/पति का नाम :-
4. स्थायी पता :-
-
5. (पत्र व्यवहार का पता) :-
-दूरभाष/मोबाईल.....
6. जन्मतिथि (अंको में) :-
- शब्दों में :-
7. दिनांक 01/01/2026 को आयु :-
8. लिंग पुरुष/महिला :-
9. जाति/वर्ग (अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./सामान्य) जाति.....वर्ग.....
10. क्या आवेदन शासकीय/अर्धशासकीय संस्था में सेवारत है ? :-
11. विवाहित/अविवाहित/विधुर/परित्यक्तता :-
12. यदि आप विवाहित है तो विवाह की तिथिएवं जीवित बच्चों की संख्या :-.....
13. शैक्षणिक योग्यता :- (जन्मतिथि एवं समस्त शैक्षणित प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रति संलग्न करें)

क्र.	उत्तीर्ण परीक्षा	उत्तीर्ण वर्ष	बोर्ड/वि.वि./संस्था का नाम	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत	क्षेणी

4/3

14. अन्य योग्यता का विवरण :-
15. अनुभव (प्रमाण पत्र संलग्न करें) :-

संस्था का नाम	पदनाम	अनुभव का विवरण		वेतन	पद छोड़ने का कारण
		कब से	कब तक		

इसके अतिरिक्त अन्य कोई विवरण देना चाहे तो पृथक पत्रक में संलग्न कर सकते हैं।

16. अनिवार्य संलग्नकों की सूची :-

1. छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होने संबंधी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
2. जन्म तिथि हेतु 10वीं की अंकसूची/प्रमाण
3. 12वीं की अंकसूची
4. स्नातक की अंकसूची
5. स्नातकोत्तरकी अंकसूची (पद अनुरूप आवश्यक होने पर)
6. व्यवसायिक पाठ्यक्रम का प्रमाण पत्र (पद अनुरूप आवश्यक होने पर)
7. विज्ञापन अनुसार निर्धारित अवधि का अनुभव प्रमाण पत्र

17. अन्य संलग्नकों का विवरण

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....

आवेदक का हस्ताक्षर
आवेदक का नाम

घोषणा-पत्र

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि इस प्रपत्र में दिए गए समस्त विवरण तथा संलग्न अभिलेख मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य हैं और यदि ये असत्य पाए जाते हैं, तो मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति निरस्त किए जाने योग्य होगी और मेरे विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।

आवेदक का हस्ताक्षर

स्थान :-

दिनांक :-

4/3